



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

No. 164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2007/माघ 26, 1928

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007/MAGHA 26, 1928

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 229(अ).—केन्द्रीय सरकार, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 फरवरी, 2007 को उस तरीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[का. सं. 3-2/2005-सी. डब्ल्यू.]

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND
CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2007

S.O. 229(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby appoints the 15th day of February, 2007 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 3-2/2005-CW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.